भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.12.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3753 का उत्तर

केरल में रेल परियोजनाएं

3753. एडवोकेट ए.एम. आरिफः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल में चल रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) कायमकुलम-एर्नाकुलम तटीय रेलवे लाइन के दोहरीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) दोहरीकरण का कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा इस कार्य के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ङ) क्या भूमि अधिग्रहण में 50 प्रतिशत हिस्से के साथ कोई राज्य सामने आया है; और

(च) यदि नहीं, तो रेलवे द्वारा इसके लिए केरल पर दबाव बनाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

Sk

केरल में रेल परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 11.12.2019 को लोक सभा में एडवोकेट ए.एम. आरिफ के अतारांकित प्रश्न सं. 3753 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण

(क) से (घ): इस समय, केरल राज्य में आंशिक/पूर्ण रूप से पड़ने वाली 8,317 करोड़ रु. की लागत की 454 किमी लम्बी 09 परियोजनाएं (02 नई लाइन, 07 दोहरीकरण) योजना/स्वीकृति/ निष्पादन के विभिन्न चरणों में है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

3,293 करोड़ रु. की लागत पर 146 किमी लम्बी 02 नई लाइन परियोजनाएं हैं। मार्च, 2019 तक 299 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है।

5,024 करोड़ रु. की लागत पर 307 किमी लम्बी 07 दोहरीकरण परियोजनाएं जिनमें से, 8 किमी लंबाई को यातायात के लिए खोल दिया गया है और मार्च, 2019 तक 671 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है। वर्ष 2019-20 के लिए इन परियोजनाओं हेतु 265 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

व्यय तथा परिव्यय सहित परियोजनाओं के परियोजनावार ब्यौरे भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात् www.indianrailways.gov.in> Ministry of Railways> Railway Board > about Indian Railway >Railway Board Directorate >Finance (Budget)>Railway-wise Works Machinery & Rolling Stock Programme Regular Budget (year) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं।

2014-19 के लिए केरल राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाएं और संरक्षा संबंधी निर्माण कार्यों हेतु औसत बजट आंबटन 950 करोड़ रु. का है, जोकि 2009-14 (372 करोड़ रु.) के औसत वार्षिक बजट परिव्यय का 255% है।

2014-19 के दौरान, 89 किमी लंबाई को यातायात के लिए खोल दिया गया है जोकि 2009-14 (53 किमी) के दौरान यातायात के लिए खोले गए किमी का 168% है। एर्णाकुलम-कायनकुलम लाइन के दोहरीकरण की मार्ग-वार स्थिति निम्नानुसार है:-

Sk

I. कोट्टायम मार्ग के रास्ते दोहरीकरण

इस मार्ग पर (मार्ग की लंबाई 114.6 किमी), एर्णाकुलम-कुरूपन्नतारा (41.37 किमी), चेंगान्नूर-चंगन्नसेरी (16.5 किमी) और चेंगान्नूर-कायनकुलम (20.19 किमी) तक दोहरीकरण, कुल मिलाकर 78.06 किमी मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष भाग पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

II. अलापुज्जाह मार्ग के रास्ते दोहरीकरण

इस मार्ग पर (मार्ग की लंबाई 100.33 किमी), हरिपद-कायनकुलम (13.04 किमी) के दोहरीकरण को यातायात के लिए खोल दिया गया है। अंबलपुज्जाह-हरिपद दोहरीकरण (18.13 किमी) पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

एर्णाकुलम-कुंबलम (7.71 किमी) और कुंबलम-तुरवूर (15.59 किमी) और तुरवूर-अंबलपुज्जाह (45.86 किमी) दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए भूमि की लागत में असामान्य वृद्धि के कारण परियोजना की लागत में काफ़ी वृद्धि होने के दृष्टिगत, केरल सरकार को एर्णाकुलम-कुंबलम दोहरीकरण और कुंबलम-तुरवूर दोहरीकरण परियोजना की लागत में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी और तुरवूर-अंबलपुज्जाह दोहरीकरण परियोजना के लिए निःशुल्क भूमि मुहैया कराने और निर्माण लागत में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए अपनी सहमति देने हेतु अनुरोध किया गया है, जिस पर बहरहाल, राज्य सरकार द्वारा सहमति नहीं दी गई है।

किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों पर) की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, भूकंप, बाढ, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, माननीय न्यायालयों के आदेश, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अतः इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

Sk

(ङ): जी हां। कई राज्य सरकारों ने परियोजनाओं की 50 प्रतिशत लागत में भागीदारी और साथ ही 100 प्रतिशत निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के साथ-साथ 50 प्रतिशत निर्माण लागत वहन करने के लिए अपनी सहमति दी है।

(च): प्रश्न नहीं उठता।

******

Sk